न्यायालय जिला कलक्टर, चित्तौड़गढ़

पीठासीन अधिकारी **शिवांगी स्वर्णकार**, आई.ए.एस.

प्रकरण संख्या 06/2019(रसद)
पंजीयन दिनांक 03.01.2019

राज्य सरकार जरिए थानाधिकारी, पुलिस थाना चंदेरिया, चित्तौड़गढ़, जिला चित्तौड़गढ़
.....प्रार्थी

बनाम

1–श्री पुष्कर लाल पिता रतनलाल कुलमी निवासी मोरवन, थाना मंगलवाड़, जिला–चित्तौड़गढ़
2–कालूसिंह पिता माधूसिंह राजपूत निवासी बरोडिया, थाना खेरोदा, जिला–उदयपुर

.....विपक्षीगण

आवेदन अन्तर्गत धारा 6–ए आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955

न्यायालय जिला कलक्टर चित्तौड़गढ़ (राज.)

उपस्थितिः– 1–श्री हितेश जोशी, प्रवर्तन अधिकारी, पैरोकार सरकार

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

निर्णय

दिनांक 06.08.2019

प्रकरण का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि दिनांक 28.11.2015 को श्री दलपत सिंह भाटी, पुलिस उप अधीक्षक, वृत गंगरार को वाना उदयपुर हाईवे पर एक होटल के पास टैंकर नम्बर RJ 27 1G 1703 से अवैध रूप से टेंकरों से केरोसीन निकाल कर भण्डारण करने तथा कालाबाजारी की जरिए मुखबीर सूचना मिलने पर, मन वृत्ताधिकारी मय प्रवर्तन अधिकारी श्री कल्याण सहायक करौल द्वारा मुखबीर सूचना अनुसार हाईवे रोड़ अजमेर प्लाजा होटल के सामने उदयपुर से भीलवाड़ा जाने वाले रोड पर नाकाबन्दी कर मौके पर जांच शुरू की, मुखबीर सूचना अनुसार टैंकर नम्बर RJ 27 1G 1703 आया जिसको हाथ देकर रूकवाया। टैंकर के अन्दर ड्राईवर के अलावा कोई नहीं था। ड्राईवर को अपना नाम पता पूछा तो उसने अपना नाम श्री पुष्कर लाल पिता रतन लाल कुलमी निवासी मोरवन थाना मंगलवाड़ होना बताया। टैंकर चालक से टैंकर का ढक्कन खुलवाकर देखा व सूंघा तो टैंकर मे चार खण्ड हो चारों खण्डों में केरोसीन भरा होना पाया गया। प्रवर्तन अधिकारी द्वारा भी उक्त पदार्थ को देखकर सूंघा तो केरोसीन होना बताया। पुष्कर लाल से भी पूछने पर उसने भी केरोसीन होना बताया। पुष्कर लाल से उक्त केरोसीन को अपने कब्जे में रख परिवहन करने बाबत् कोई लाईसेन्स या अनुज्ञापत्र बाबत् पूछा तो उसने टैंकर के केबिन से एक रिटेल इन्वोइस नम्बर 60 दिनांक 06.11.2015 टैंकर

जिला कलेक्टर
चित्तौड़गढ़

नम्बर RJ 27 1G 1703 महावीर इन्टरप्राईजेज मु. पो. वाना तहसील वल्लभनगर, तथा क्रेता आरवीएस पेट्रोकेमिकल लिमिटेड गांव असलाहदा तहसील बहादुरगढ़ जिला झज्जर हरियाणा, बोटम ऑयल रेजेडीयु (केमिकल) मात्रा 15630 के. जी. अमाण्ड 3,58,709.00 कम्पनी वेट टीन 08952167786, क्रेता वेटटीन/सेलटेक्स नम्बर 06221702572 अंकित किया हुआ है। इसके अलावा राधिका रोड लाईन्स एम 7 इन्डस्ट्रीयल एरिया सिकंदराबाद डिस्ट्रीक्ट बुलंदशहर की बिल्टी मिली जिस पर जी आर नम्बर 2073 भेजने वाला महावीर इन्टरप्राईजेज मुकाम पोस्ट वाना तहसील वल्लभनगर तथा प्राप्त करने वाला आरवीएक्स पेट्रो केमिकल लिमिटेड गांव असलाहदा जिला झज्जर हरियाणा, बोटम ऑयल रेजेडीयु (केमिकल) मात्रा 15630 के. जी. अमाण्ड अंकित किया हुआ है। इस प्रकार टैंकर में बोटम ऑयल रेजेडीयु बताकर अवैध केरोसीन भरा हुआ है। इस आधार पर उक्त बिल व बिल्टी फर्जी होना पाया गया। टैंकर में पडे पीतल के गेज से चारों खण्डों का नाप किया तो प्रत्येक खण्ड मे करीब 5000 लीटर कुल 20000 लीटर केरोसीन भरा होना पाया गया। टैंकर के प्रत्येक खण्ड से 750 एम. एल. की तीन अलग-अलग कांच की बोतलों मे नमूना निकाल कर क्रमशः मार्क ए-1, ए-2, ए-3, बी-1, बी-2, बी-3, सी-1, सी-2, सी-3 तथा डी-1, डी-2 एवं डी-3 अंकित किया। शेष बचे केरोसीन को टैंकर के उन्हीं चार खण्डों में रहने दिया जाकर सील चिट किया गया। इस प्रकार पुष्कर लाल का उक्त कृत्य जुर्म धारा 3/7 ई. सी. एक्ट एवं 420, 467, 468, 471 भा. द. स. का पाया जाने से पुष्कर लाल को गिरफ्तार कर टैंकर जब्त कर प्रकरण संख्या 380/2015 दर्ज कर तफ्तीश कर दिनांक 21.04.17 को चालान न्यायालय मे पेश किया व दिनांक 07.08.18 को ए. सी. जे. एम. प्रथम चित्तौड़गढ़ के आदेश क्रमांक 381 की पालना में टैंकर में भरा केरोसीन थाने आहते में ड्रमों में वाहन मालिक की उपस्थिति में भरवाया गया तो कुल 60 ड्रमों में केरोसीन भरा। एक ड्रम में कुल 220 लीटर केरोसीन की क्षमता है इस हिसाब से 60 ड्रमों में कुल 12000 लीटर केरोसीन भरा पाया गया। अतः जब्तशुदा 60 ड्रमों में कुल 12000 लीटर केरोसीन के निस्तारण हेतु धारा 6 ए के तहत यह आवेदन प्रस्तुत किया गया।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर विपक्षीगण को सूचना पत्र जारी किये गये। विपक्षीगण बावजूद सूचना के अनुपस्थित रहने से विपक्षीगण के विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही के आदेश दिए गए। अतः बहस प्रकरण पैरोकार सरकार सुनी गई।

प्रवर्तन अधिकारी चित्तौड़गढ़, पैरोकार सरकार ने आवेदन मे वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि विपक्षी द्वारा फर्जी बिल व बिल्टी के आधार पर अनाधिकृत रूप से केरोसीन अपने कब्जे में रखना केरोसीन की कालाबाजारी करने से संबंधित होने एवं आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3/7 के तहत दण्डनीय अपराध होने से जब्तशुदा केरोसीन को राजसात करने का आदेश फरमाया जावे।

न्यायालय जिला कलक्टर चित्तौड़गढ़ (राज.)

जिला कलेक्टर
चित्तौड़गढ़

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

हमने पत्रावली का गहनता से अवलोकन किया एवं पैरोकार सरकार की बहस पर मनन किया। मौके पर टैंकर के चारों खण्डों में केरोसीन भरा पाया गया। मौके पर उपस्थित चालक श्री पुष्कर लाल से उक्त केरोसीन को अपने कब्जे में रखने बाबत वैध दस्तावेज तथा अनुज्ञापत्र होने संबंधी पूछा गया तो उसके द्वारा बिल व बिल्टी पेश किए गए जो दौराने जांच फर्जी पाए गए।

इस प्रकार सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत वितरित किए जाने वाले केरोसीन जो केवल राशनकार्डो पर ही वितरित किया जा सकता है, को विपक्षीगण द्वारा अवैध परिवहन कर अपने कब्जे में रखना तथा अनुचित लाभ प्राप्त करने के लिए कालाबाजारी करना प्रमाणित पाया जाता है।

निष्कर्षतः आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 की धारा 6ए सपठित राजस्थान खाद्यान्न एवं अन्य आवश्यक पदार्थ (वितरण का विनियमन) आदेश 1976 के तहत जब्तशुदा 12000 लीटर केरोसीन को राजसात (Confiscate) करने के आदेश दिये जाते है। जिला रसद अधिकारी चित्तौड़गढ़ उक्त जब्त शुदा केरोसीन को थानाधिकारी, पुलिस थाना चन्देरिया, चित्तौड़गढ़ से प्राप्त कर, नियमानुसार निस्तारण कर, प्राप्त आय राजकोष में जमा करा, पालना से अवगत करावें।

'निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।'

(शिवांगी स्वर्णकार)
जिला कलक्टर
चित्तौड़गढ़

न्यायालय जिला कलक्टर चित्तौड़गढ़ (राज.)

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official